पत्र संख्या– 9/स्था0–01–38/2014............6087..../

बिहार सरकार,
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

राम पुकार रंजन,
अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन)।

सेवामें,

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– २५.११.१६

विषयः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2013 को पारित न्याय–निर्णय के आलोक में विज्ञापन संख्या–1406/20036 एवं 1906/2006 के तहत नियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) को वेतन संरक्षण अथवा पूर्व से वेतन निर्धारण या अन्य लाभ प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2013 को पारित न्याय–निर्णय के आलोक में विज्ञापन संख्या–1406/2006 एवं 1906/2006 के तहत राज्य के विभिन्न कार्य विभागों में नियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का विभागीय आदेश संख्या–3474 दिनांक 24.06.2016 द्वारा निर्धारित संयुक्त वरीयता के आधार पर वरीय को कनीय के समतुल्य वेतन संरक्षण प्रदान करने, वरीयता अर्जित करने की तिथि 15.06.2007 से (यद्यपि योगदान की तिथि इसके बाद की है) वैचारिक रूप से वेतन का निर्धारण, वरीयता अर्जित करने की तिथि 15.06.2007 से योगदान करने की तिथि (वर्ष 2012/2014 में योगदान) तक की अवधि नियमित प्रोन्नति/ एम0ए0सी0पी0 के लिए परिगणित की जायेगी अथवा नहीं, के विन्दु पर वित्त विभाग का निम्न अभिमत प्राप्त हुआ हैः–

"(क) सिविल अपील संख्या–2515–2516/2008 (एस0एल0पी0 सं0–5752–5753/2008 से सृजित) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2016 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि वरीयता एवं सेवा निरंतरता का निधारण में संशोधित मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रथम नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जायेगी, परन्तु पीछे का वेतन एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा। अर्थात् न्यायादेश के अनुसार सिर्फ नियमित प्रोन्नति को छोड़कर अन्य लाभों के प्रोयोजनार्थ संशोधित वरीयता को दृष्टिपथ में नहीं रखा जाना है। संशोधित मेरिट लिस्ट को दृष्टिपथ में रखते हुए तैयार किये गये वरीयता सूची के आलोक में वरीय (जो पहले सेवा में नहीं थे) का वेतन कनीय, (जो प्रथम नियुक्ति की तिथि से कार्यरत हैं) के समतुल्य किया जाय, ऐसा न्यायादेश में अंकित नहीं है। फलतः stepping up का कोई अवसर नहीं बनता है।

(ख) यह एक Peculiar मामला है, जिसमें त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल के आधार पर वर्ष 2006 में नियुक्त कर्मी पुनर्मूल्यांकन में असफल हो गए परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित नियमन के कम में इन्हें सेवामुक्त नहीं किया जाना है वरन् दोनों संव्यवहारों, जिनसे नियुक्तियॉं हुई है, में यह कनीयतम हो जाएँगे। यह वर्ष 2012 में पुनर्मूल्यांकनोपरान्त नियुक्त

कर्मियों से कनीय हो जाते हैं। परन्तु इनका वेतन स्वभावतः अधिक है, जिसके कम में प्रशासी विभाग द्वारा वर्ष 2012 के प्रभाव से नियुक्त कर्मियों के पक्ष में वेतन step up करने का प्रस्ताव दिया है। यह मामला वेतन संरक्षण के स्थापित मापदण्डों के अधीन नहीं आता है। अतः प्रस्ताव में असहमति व्यक्त की जा सकती है। हॉ, यदि explicit न्यायादेश हो तो अलग बात है। वर्त्तमान स्वरूप में प्रस्ताव सहमति योग्य नहीं है।''

अतएव अनुरोध है कि विज्ञापन संख्या–1406/2006 एवं 1906/2006 के तहत नियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) की सेवा/ प्रोन्नति/ वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा गठित उपर्युक्त अभिमत के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,,

(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन)।

ज्ञापांक–9/स्था0–01–38/2014– 6087 /पटना, दिनांक– 24.11.16

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/ उप सचिव–1 (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, पटना/ बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, पटना/ ए0एम0आई0एस0 कोषांग, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन)।

ज्ञापांक–9/स्था0–01–38/2014– 6087 /पटना, दिनांक– 24.11.16

प्रतिलिपि– प्रभारी, कंप्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन)।